

आदेश

उपजिलाधिकारी कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार पर जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कपकोट-कर्मी मोटर मार्ग से तोली मोटर मार्ग निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 4.734 है0 की दुगुनी अवनत भूमि 9.468 है0 जो ग्राम चौड़ा राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र, लोहारखेत तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-121 के पैमाईशी खेत नम्बर- 04 रकवा 17.913 है0 मध्ये 9.468 है0 भूमि जो श्रेणी 9(3) ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि भूमि को शासनादेश संख्या-2173/XVIII(1)2012-18 (120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर,2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 8 नि/इ.सी.जी./06/226/2015/फ़ाइल/1054-22-9 में दी गयी शर्तों के अधीन क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या -74 / छबीस -05 वन /2017-18 दिनांक 03/01/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
- 2- उपजिलाधिकारी, कपकोट।
- 3- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग पी0आई0यू0। पी0एम0जी0एस0वाई0. कपकोट।
- 4- तहसीलदार, कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण /नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक -एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

सहायक अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
पी0 आई0 यू0 II. कपकोट
बागेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
पी0 आई0 यू0 II. कपकोट
बागेश्वर